Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बाड़मेर में पटवारी 2500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *04 अगस्त।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बाड़मेर इकाई द्वारा आज बुधवार को कार्यवाही करते हुये अशोक कुमार पटवारी पटवार हल्का ग्राम पंचायत बूठिया, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत रामसर, जिला बाड़मेर को परिवादी से 2500 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बाड़मेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी भूमि का नामान्तकरण खोलने की एवज में अशोक कुमार पटवारी पटवार हल्का ग्राम पंचायत बूठिया, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत रामसर, जिला बाड़मेर द्वारा 3 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी बाड़मेर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रामनिवास** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये अशोक कुमार पुत्र श्री रामेश्वर लाल जाट निवासी ग्राम तिलोकपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, पुलिस थाना अजीतगढ़, जिला सीकर हाल पटवारी पटवार हल्का ग्राम पंचायत बूठिया, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत रामसर, जिला बाड़मेर को परिवादी से **2500 रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।